



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082021-228879
CG-DL-E-10082021-228879

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2977]
No. 2977]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 10, 2021/श्रावण 19, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 10, 2021/SHRAVANA 19, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2021

का.आ. 3208(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, जिला अधिकारी कार्यालय हरदोई (NH330D) के कि.मी 33.1 से 39.1 उत्तर प्रदेश राज्य के तक के पेन्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH330D पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर मजिस्ट्रेट	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	उत्तर प्रदेश	हरदोई	हरदोई	1 नया गांव देवरिया

		NH330D के कि.मी. 33.1 से 39.1 तक			<table><tr><td rowspan="3">संडीला</td><td>1</td><td>पिपरी</td></tr><tr><td>2</td><td>ममरेजपुर</td></tr><tr><td>3</td><td>झरोइया</td></tr></table>	संडीला	1	पिपरी	2	ममरेजपुर	3	झरोइया
संडीला	1	पिपरी										
	2	ममरेजपुर										
	3	झरोइया										

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/NH-33D/2021-22]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th August, 2021

S.O. 3208(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 33.1 to 39.1 of DM office Hardoi (NH330D) in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. NH330D in the State of UTTAR PRADESH.**

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	City magistrate	33.1KM To 39.1KM	UTTAR PRADESH	HARDOI	Hardoi	1 Naya Gaon Devriya
					Sandila	1 Pipri
						2 Mamrejpur
					3 Jhroiya	

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/NH-33D/2021-22]

RAJESH GUPTA, Director